

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (I)

Appearing on Page Nos. 244—252

Dated 3-4-2010

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निरीक्षक (वैद्युत)	724* (2010)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
		लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-97; आयकर-01, पर्यावरण और वन-05, *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।				

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :</p> <p>(i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन कनिष्ठ अभियंताओं (वै.) से भरा जाएगा जो वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34,800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और</p> <p>(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।</p> <p>टिप्पण—यदि उन कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों को अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p>

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है
(13)	(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।
(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—अध्यक्ष
(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य
(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	—सदस्य
(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1]

सूरत सिंह, अवर सचिव

नोट : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

- 80 -

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 2010

ORDER 62.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely :—

(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering, Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under :

SCHEDULE

	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi-97; Income Tax-01; Environment & Forests-05 *Subject to variations dependent on workload.	24/2010)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, pay scale of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable
Additional and other qualifications required for recruitment				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any
				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Promotion	<p>Promotion :</p> <p>(i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Electrical) in the Pay Band-2 of pay scale of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Electrical) with four years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—</p> <p>(i) Additional Director General of Works, Central Public Works Department —Chairman</p> <p>(ii) Chief Engineer, Central Public Works Department —Member</p> <p>(iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member</p> <p>(iv) Director of Administration, Central Public Works Department —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-1]

SURAT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

82-

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम जारी हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 के अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

अनुसूची

वर्ग का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम, 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1887* (2010) सामान्य केन्द्रीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-1421, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-390; आयकर-59, पर्यावरण और वन-15, भूमि और विकास कार्यालय-02 *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।	सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुसूचित अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष

1230 UD/10-2

- 83 -

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

(11)

प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(12)

प्रोन्नति :

(i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन कनिष्ठ अभियंताओं (सि.) से भरा जाएगा जो वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और

(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियाँ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।

टिप्पण : यदि उन कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, कि प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):-

- | | |
|---|----------|
| (i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —सदस्य |
| (iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | —सदस्य |
| (iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —सदस्य |

किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है

(14)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-11]

सुरत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely:—

- 84 -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under :

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Civil)	1887*(2010) Central Public Works Department-1421; Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi-390; Income Tax-59; Environment & Forest-15; Land and Development Office-02. *Subject to variations dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Promotion	<p>Promotion :</p> <p>(i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Civil) in the Pay Band-2 of Pay Scale of Rs. 9300–34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Civil) with four years' regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :—</p> <p>(i) Additional Director General of Works, Central Public Works Department —Chairman</p> <p>(ii) Chief Engineer, Central Public Works Department —Member</p> <p>(iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member</p> <p>(iv) Director of Administration, Central Public Works Department —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-II]

SURAT SINGH, Under Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

- 86 -

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 244—252

Dated 3-4-2010

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग-621, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-97; आयकर-01, पर्यावरण और वन-05, *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।	724* (2010)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(11)	(12)
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :</p> <p>(i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन कनिष्ठ अभियंताओं (चै.) से भरा जाएगा जो वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34,800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और</p> <p>(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।</p> <p>टिप्पण—यदि उन कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों को अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p>

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है

किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।
(i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—अध्यक्ष
(ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य
(iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	—सदस्य
(iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1]

सुरत सिंह, अवर सचिव

नोट : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 62.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Electrical Engineering, Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under :

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Electrical)	724*(2010) Central Public Works Department-621; Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi-97; Income Tax-01; Environment & Forest-05 *Subject to variations dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, pay scale of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Two years	

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Promotion	<p>Promotion :</p> <p>(i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Electrical) in the Pay Band-2 of pay scale of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Electrical) with four years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—</p> <p>(i) Additional Director General of Works, Central Public Works Department —Chairman</p> <p>(ii) Chief Engineer, Central Public Works Department —Member</p> <p>(iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member</p> <p>(iv) Director of Administration, Central Public Works Department —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-4]

SURAT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

90-

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास और गरीबी मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा भर्ती नियम, 2003 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम, 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत है
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1887* (2010) सामान्य केन्द्रीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-1421, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-390; आयकर-59, पर्यावरण और वन-15, भूमि और विकास कार्यालय-02 *कार्यभार पर आधारित परिवर्तनों के अधीन।	सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	

भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष

230 UD/10-2

91-

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(11)

(12)

प्रोन्नति

प्रोन्नति :

(i) 80 प्रतिशत रिक्तियों को उन कनिष्ठ अभियंताओं (सि.) से भरा जाएगा जो वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. के उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और

(ii) 20 प्रतिशत रिक्तियाँ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी जिसमें संबंधित उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।

टिप्पण : यदि उन कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, कि प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/या पात्रता सेवा की आधी सेवा से अधिक से या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है

किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

- | | |
|---|----------|
| (i) अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —सदस्य |
| (iii) निदेशक/उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | —सदस्य |
| (iv) निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | —सदस्य |

[फा. सं. 33/4/2006-एस एंड डी/ई डब्ल्यू-1.]

सूरत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142, तारीख 24 अप्रैल, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कर दिए गए थे।

New Delhi, the 31st March, 2010

G.S.R. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment Rules, 2003, namely:—

92

1. (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Service Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Schedule to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Public Works Department, Central Engineering Group 'B' Services Recruitment Rules, 2003 shall be substituted as under :

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Civil)	1887*(2010) Central Public Works Department-1421; Public Works Department, Government of National Capital Territory of Delhi-390; Income Tax-59; Environment & Forest-15; Land and Development Office-02. *Subject to variations dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Two years	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Promotion	<p>Promotion :</p> <p>(i) 80% vacancies to be filled by Junior Engineers (Civil) in the Pay Band-2 of Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade; and</p> <p>(ii) 20% vacancies to be filled by Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Public Works Department Training Institute or any other Institution duly recognized by the Central Government or State Government open to Junior Engineer (Civil) with four years' regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :—</p> <p>(i) Additional Director General of Works, Central Public Works Department —Chairman</p> <p>(ii) Chief Engineer, Central Public Works Department —Member</p> <p>(iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member</p> <p>(iv) Director of Administration, Central Public Works Department —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 33/4/2006-S&D/EW-I]

SURAT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 142, dated the 24th April, 2004.

- 94 -